



2026:AHC:25795

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी सं. - 4572 सन् 2026

कृष्णा नंद

बनाम

उ.प्र. राज्य और 25 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता(गण)	: बृजेश कुमार यादव
प्रतिवादी के अधिवक्ता(गण)	: आजाद राय, सी.एस.सी.

न्यायालय सं. - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना।
2. आज पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश को ध्यान में रखते हुए, निजी प्रतिवादीगण को नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है।
3. वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या 2, अर्थात् उप मंडल मजिस्ट्रेट, तहसील हंडिया, जिला प्रयागराज को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 116 के तहत मामला संख्या 11524 सन् 2025 (कंप्यूटर वाद संख्या T202502030411524) (कृष्णानंद बनाम लालचंद और अन्य) को गाटा नंबर 134क के संबंध में निर्णय लेने का निर्देश देने के लिए की गई एकमात्र प्रार्थना, क्षेत्रफल 0.3200 हेक्टेयर और गाटा संख्या 134 ग क्षेत्रफल 0.0910 हेक्टेयर और गाटा संख्या 134 गा क्षेत्र 0.0570 हेक्टेयर है, जो निर्धारित अधि के भीतर ग्राम कुकुड़ा, परगना केवई, तहसील हंडिया, जिला प्रयागराज में स्थित हैं।
4. उपस्थित पक्षों के अधिवक्ता को सुना और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
5. पक्षों के अधिवक्ता की सहमति से, वर्तमान रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 2, अर्थात् उप-मंडल मजिस्ट्रेट, तहसील हंडिया, जिला प्रयागराज को याचिकाकर्ता द्वारा दायर उपरोक्त मामले को कानून के अनुसार सख्ती से, बिना किसी अनावश्यक स्थगन के, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो, निर्देश दिया जाता है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

फरवरी 5, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"